.........वनाम ....
..........R.T.A......... मुकदमा नं. ......15/2023....... ऑनलाईन नं. ...2023/46......

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील से जारी हुए
19/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप0 है। बहस सुनी गई। वकील वादी ने तर्क दिया कि ग्राम दुर्जनपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 बतौर खातेदार दर्ज है, जमाबन्दी सम्वत 2070–73, जमाबन्दी सम्वत 2058–61 तथा नकल विक्रय पत्र, पटवारी हलका रिपोर्ट दुर्जनपुरा पेश की। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.07.2005 को ग्राम दुर्जनपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में ख0नं0 111 रकबा 1.65है0, ख0नं0 501 रकबा 0.64हे0, ख0नं0 676 रकबा 1.23है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.52है0, में तत्कालीन सहखातेदार शम्भूदयाल पुत्र बद्रीलाल से उपरोक्त आराजी में विक्रेता शम्भूदयाल का 1/16 हिस्सा (रकबा 0.22है0) जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किया गया जो कि दिनांक 01.07.2005 को उपपंजीयक पीपल्दा में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 14 में पृष्ठ संख्या 193 क्रम संख्या 200500861 पर पंजीबंद किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द संख्या 130 के पृष्ठ सं0 85 से 88 पर चस्पा है। प्राथी उक्त भूमि पर काबिज काश्त होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अप्रार्थीगण की अपेक्षा अधिक है क्योंकि प्रार्थी उक्त भूमि का क्रेता व काबिज काश्त है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने पर प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम दुर्जनपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में ख0नं0 111 रकबा 1.65है0, ख0नं0 1258 रकबा 3.10है0, ख0नं0 413 पूर्व रकबा 0.86है0, ख0नं0 501 रकबा 0.64है0, कुल किता 4 कुल रकबा 6.25है0, भूमि प्रार्थी के निहित 88/625 हिस्से भूमि में भूगि गें प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में अप्रार्थीक्रम 6 किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधि से करवाए तथा विवादित आराजी को खुर्द बुर्द रहन बैचान आदि नहीं करें प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें। उभयपक्ष मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाए रखें। सहायक कलक्टर इटावा जि0 कोटा (राज0)	